

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

हसराम

बनाम

पत्थरगढी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 13/2022

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

07/01/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती हसराम - 3 आरेवी

पिता श्री गंगाराम गाडरी, कमलाकई पत्नी गंगाराम जी गाडरी

निवासी- भजरा भोडारिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

सेन्ती स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 2239/1778, 2242/1773, 2243/1774, 2244/1777, 2245/1801

कुल कीता 5 कुल रकबा 1.0800 है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम सेन्ती स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 2239/1778, 2242/1773, 2243/1774, 2244/1777, 2245/1801

कुल कीता 5 रकबा 1.0800 है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000000 रुपये अक्षरे एक हजार रुपय आराजी प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

मांक / सरिश्ता / प्रा.पत्र 13/2024/14

दिनांक 20/01/22

तहसीलदार
चित्तौड़गढ़

विषय : पत्थरगढी करने के सम्बन्ध में।

प्रकरण : 1-से 2 हलराज - उभादेवी पिता गंगाराम जी गाडरी निवासी
भठडारिया
3- कमलबडि 4/0 गंगाराम जी गाडरी 210 भठडारिया
गवर्गिदा

बनाम

- 1- चारचन्द्र 510 लालू गाडरी 210 भठडारिया
- 2- उदयलाल 510 भरशम गाडरी 210 भठडारिया
- 3- रामलाल 510 युजा ऊहीर 210 सेमलिया
- 4 से 5 सुरेश - दिनेश पिता चारचन्द्र जी वर्मा 210 गांधीनगर
गर्भ कालेज के सामने चित्तौड़गढ़
- 6- राजू पिता चारचन्द्र जी वर्मा 210 सेगवा हाडसिंग बौडे
पानी की लकी के पास चित्तौड़गढ़

विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपरोक्त विषयाकित अनवान के प्रकरण में ग्राम सेरी खतौनी सं. 103
सम्बत् 2072-2075 में अकित आराजी नम्बर 2239/1778, 2242/1773, 2243/1774
2244/1777, 2245/1801 कुल कित्ता 5 रकबा 1.0800 है. भूमि की
नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना
पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकन (पत्थरगढी) कर दिया जावे। खर्चा कमिश्नर
शुल्क रुपये 1000=00 अक्षरे एक हजार रुपए मात्र प्रार्थी
वहन करेगें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में (15 दिवस में) शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)